

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2020-21/

दिनांक-

:: सेवा संतोषजनक प्रमाण-पत्र ::

प्रारूप-6 परिशिष्ट-"अ"

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत निम्नांकित प्राध्यापक (विषय-भौतिक विज्ञान) के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किये जा चुके है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानानुसार निम्नांकित कार्मिक 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएं एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करता हैं, उक्त नियमों के अन्तर्गत कॉलम संख्या-05 में अंकित दिनांक से निम्नांकित कार्मिक को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वै. सेवानिवृत्ति तिथि
01	02	03	04	05
1.	संजय कुमार ग्रोवर, देसूला, रामगढ़ (अलवर)	05.08.1968	06.01.1995	10.02.2022


1. संबंधित संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष उक्त कार्मिक से ऑडिट संबंधित वसूली/अन्य वसूली निकाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्मिकों की होगी, का संबंधित से स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र लिया जाकर निर्धारित तिथि को सेवानिवृत्ति से संबंधित कार्यवाही करें।

2. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि अकार्य दिवस होने के कारण उक्त तिथि का वेतन देय नहीं होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित शिक्षा सेवा के कार्मिक के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

सत्यमेव जयते


(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-3/15044/सेवानिवृत्ति/भौगक/2020-21/176

दिनांक-09.05.22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग.....
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (स्कूल शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक.....।
6. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/ओएसी/गोपनीय प्रतिवेदन अनुभाग।
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर